दिनांकः 01.05.2019

प्रेस नोट

थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा महिला व उसकी पुत्री पर तेजाब से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

डॉ0 विपिन ताडा, पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के नेतृत्व में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री बृजेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री जितेन्द्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 01.05.2019 को थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के मौ0 शाह अली सराय निवासी महिला व उसकी पुत्री पर तेजाब डालने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0स0 225/19 धारा 326 ए/452 भादवि के अभियुक्त दीपक पुत्र शंकर लाल निवासी मौ0 चौक बाजार निकट जामा मस्जिद कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। विवेचना से अभियुक्त दीपक उपरोक्त द्वारा ही अकेले उपरोक्त घटना को अंजाम देना व पूर्व में इस अभियोग में जेल भेजे गये आकाश पुत्र गुड्डू व मनीश पुत्र पूरन निवासीगण मौ0 शाह अली सराय थाना अमरोहा नगर, अमरोहा झूठे पाये जा रहे है। जिनके सम्बन्ध में 169 सीआरपीसी की कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

अभियुक्त दीपक उपरोक्त पीडिता की सगी बहन निवासी मौ0 चौक बाजार निकट जामा मस्जिद कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को करीब 05 वर्ष से चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। जबकि पीडिता इसका विरोध करती थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर बदला लेने के लिए अभियुक्त दीपक द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। अभियुक्त द्वारा पूर्व में पीडिता के पति के साथ हलवाई का काम भी किया गया है। अभियुक्त इस घटना में अखबारों के माध्यम से 02 अभियुक्तों के जेल चले जाने के बारे में जानकारी होने के बाद निश्चिन्त हो गया और पीडिता की बहन को उसके घर कस्बा कांठ जाकर धमकी भी दी कि या तो वह उससे शादी कर लें वरना वह उसका हाल भी उसकी बहन जैसा कर देगा।

गिरफ्तार अभियूक्त का नाम पता

1. दीपक पुत्र शंकर लाल निवासी मौ0 चौक बाजार निकट जामा मस्जिद कस्बा व थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

बरामदगी

1. 04 लीटर तेजाब
2. तेजाब से जले अभियुक्त के कपडे।